

# वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला स्थापना प्रशाखा)

## आदेश

कार्यहित में कॉलम (2) में अंकित विभिन्न कार्यालय प्रधान को उनके द्वारा की गयी अध्याचना के आलोक में कॉलम चार (4) में अंकित कार्यपालक सहायक को नियोजित करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है।


क्र०	अध्याची पदाधिकारी का पत्रांक एवं दिनांक	ID No.	नाम	पिता का नाम	अभ्युक्ति
1	उप विकास आयुक्त, वैशाली के पत्रांक-2562, दिनांक-14.12.16	VAI000462	आलोक कुमार	रामश्रेष्ठ राय	जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, वैशाली द्वारा वापस
2		VAI001297	अखिलेश कुमार	धूपन राय	जिला भू-अर्जन पदा० द्वारा वापस
3		VAI001271	संतोष कुमार	शम्भू तिवारी	
4		VAI000509	संतोष कुमार	राजकुमार राय	

६ -  
जिला पदाधिकारी,  
वैशाली।

शर्तें :-

1. नियोजन हेतु नियुक्ति पत्र संबंधित विभाग/पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।
2. इन्हें दिनांक 31/12/2016 तक अंकित कार्यालय में योगदान करना होगा।
3. इनका कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर बिना सूचना के नियोजन समाप्त करने का अधिकार संबंधित पदाधिकारी/नियोक्ता का होगा।
4. विभागीय निदेश के आलोक में संविदा राशि का भुगतान किया जायेगा।
5. वे सभी कार्य जो विभागीय पदाधिकारी/नियोक्ता उन्हें कार्यहित में आवंटित करेंगे, उसका दृढ़ता से ससमय अनुपालन करना होगा।
6. योगदान हेतु किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7. सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. इस संविदा पर किये गये नियोजन के आधार पर भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी नियुक्ति संबंधी दावा अनुमान्य नहीं होगा।

  
जिला पदाधिकारी,  
वैशाली।

ज्ञापांक-.....1316...../

दिनांक-.....22/12/2016.....


प्रतिलिपि - मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी (सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना/आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - अपर समाहर्ता, वैशाली/उप विकास आयुक्त, वैशाली के सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - नोडल पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - आईटी मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेशित है कि निम्नांकित उपस्करों (क) एक डेस्क टॉप (ख) एक प्रिन्टर (ब्लैक एण्ड व्हाइट) (ग) एक यूपीएस (घ) इन्टरनेट कनेक्शन डिभाईस के साथ अपना योगदान पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। योगदान नहीं करने की स्थिति में उनका बाद में नियोजन हेतु दावा अमान्य कर दिया जायेगा।

  
जिला पदाधिकारी,  
वैशाली।